UPSR010000022014

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act), श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (श्री अवनीश गौतम), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP **01682**

सत्र परीक्षण संख्याः-Session Trial/100065/2014

उत्तर प्रदेश राज्य

––––––––––अभियोगी

बनाम

अंकुल सिंह उर्फ यशवन्त सिंह, पुत्र कुंवर बहादुर सिंह साकिन भगवानपुर थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।

––––––––––अभियुक्त

धारा– 323, 506 भा0दं0सं0
एवं धारा 3 (1) (X) अनु0 जाति
और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम।
अपराध संख्या 1341/2013
थाना– कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती।

<u>निर्णय</u>

1– अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जनपद श्रावस्ती के आदेश दिनांक 31–03–2014 द्वारा यह पत्रावली सत्र न्यायालय को सुपुर्द की गयी। सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् यह पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 26–08–2019 द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जय

प्रकाश एडवोकेट द्वारा थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती पर इन कथनों की तहरीर दी गयी कि प्रार्थी अनुसूचित जाति धोबी है। प्रार्थी दिनांक 31–08–2013 को सुबह आठ बजे अपने साथ मजदूर लेकर पिपरमिन्ट की लीझी सुखाने हेतु काम पर गया था। वहां पर कुंवर बहादुर सिंह पुत्र साधूसरन सिंह तथा अंकुल सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह आये और जातिगत गाली देते हुए मारने लगे जिससे प्रार्थी को दाहिनी आंख, गाल तथा हाथ फट गया तथा पीठ पर काफी चोटें आयी तथा कपड़े भी फाड़ दिये। प्रार्थी वहां से किसी तरह जान बचाकर अपने घर भाग आया तो विपक्षीगण लाठी डण्डा तथा तमंचा आदि लेकर घर पर भी चढ़ आये तथा यहां भी तमाम मां बहन की भददी भददी गालियां देते हुए कहा कि इस धोबी साले को उठा ले चलो तथा जान से मार दो बाद में जो होगा देख लिया जायेगा। शोर सुनकर गांव के हरिद्वार प्रसाद पुत्र मिश्री लाल, उदयराज पुत्र मैकू लाल, महाराजदीन पुत्र बद्री प्रसाद व गांव के तमाम लोगो ने प्रार्थी को बचाया। जाते समय धमकी दी कि दुबारा तुम्हे जान से मार दूंगा। तदुनसार रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण कुंवर बहादुर सिंह व अंकुल के विरूद्ध अपराध सख्या 1341/2013 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (X) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में दर्ज की गयी।

3– विवेचनाधिकारी द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया व अभियुक्तगण तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये और पर्याप्त साक्ष्य होने पर अभियुक्त अंकुल सिंह उर्फ यशवन्त सिंह के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3 (1) (X) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी।

4– सत्र सुपुर्दगी के उपरान्त अभियुक्त अंकुल सिंह उर्फ यशवन्त सिंह को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया। अभियुक्त अंकुल सिंह उर्फ यशवन्त सिंह के विरूद्ध दिनांक 27–08–2014 को धारा 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3 (1) (X) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध का आरोप विरचित किया गया, अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को

परीक्षित कराया गया है।

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या
1–	वादी मुकदमा जयप्रकाश	पी0डब्लू0–1
2–	साक्षी महाराजदीन	पी0डब्लू0–2
3–	साक्षी उदयराज	पी0डब्लू0–3
4–	साक्षी हरिद्वार	पी0डब्लू0–4
5–	साक्षी मंगली प्रसाद	पी0डब्लू0–5
6–	साक्षी मिथिलेश कुमार	पी0डब्लू0–6
7–	साक्षी डा0 शेषवान गौतम	पी0डब्लू0–7
8–	विवेचक साक्षी ओमप्रकाश सिंह	पी0डब्लू0–8

अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। तदनुसार अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

6– अभियोजन की तरफ से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये और उन्हें निम्न अभियोजन साक्षियो द्वारा साबित किया गया–

क्रम संख्या	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श संख्या	साक्षी जिसके द्वारा उक्त प्रपत्र साबित किया गया।
1–	वादी मुकदमा जयप्रकाश द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
2–	साक्षी महराजदीन द्वारा दिया गया शपथ पत्र	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–2
3–	चुटैल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–7
4–	घटनास्थल की नक्शा नजरी	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–8
5–	आरोप पत्र	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–8

7– अभियुक्त ने अपने बयान अर्न्तगत धारा 313 सीआर0पी0सी0 में कथन करते अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कथन किया कि आरोप निराधार है प्रार्थी ने वादी मुकदमा को न तो मारा है न ही जातिसूचक गालियां दिया है तथा कथित घटनास्थल खेत है, साक्षी पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि जयप्रकाश वादी मुकदमा ने प्रार्थी को फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसाया है स्वयं चोट कारित की है प्रार्थी द्वारा वादी को कोई चोट कारित नहीं की है न जातिसूचक गालियां दिया है सारे साक्षी वादी से साज किये है, साक्षी पी0डब्लू0–2 के साक्ष्य के

सम्बन्ध में कथन किया कि अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–2 महाराजदीन ने वादी मुकदमा से मिलकर गलत शपथ पत्र दिया है तथा न्यायालय पर झूठा विरोधाभाषी बयान दिया है महाराजदीन ने मेरे पिता को भी गलत मुकदमे में फंसाया था जिसमे न्यायालय से दोषमुक्ति हुई है, साक्षी पी0डब्लू0–3 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया है कि साक्षी उदयराज वादी मुकदमा का सगा चाचा जात भाई है अदालत पर झूठी गवाही दी है तथा साबित नहीं कर पाया है, पी0डब्लू0–4 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि गलत गवाही दिया है प्रार्थी के विरूद्ध वादी मुकदमा की साजिश में शामिल है प्रतिपरीक्षा में अभियोजन का समर्थन नही किया है, साक्षी पी0डब्लू0–5 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि साक्षी ने न्यायालय पर गलत झूठी गवाही दी है, साक्षी पी0डब्लू0–6 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि साक्षी ने झूठा साक्ष्य दिया है प्रार्थी निर्दोष है कुंवर बहादुर सिंह की तलबी अन्तर्गत धारा 319 सीआर0पी0सी0 माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गयी है, साक्षी पी0डब्लू0–7 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया कि डा0 शेषवान गौतम ने अपनी प्रतिपरीक्षा मे कहा है कि सारी चोटे 24 घण्टे के अन्दर की है दिनांक 31–08–2013 सुबह 8 ए0एम0 की नहीं है जयप्रकाश ने सारी चोटे स्वयं कारित करके फंसाया है, साक्षी पी0डब्लू0–9 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कथन किया है कि सारी कार्यवाही थाने मे बैठकर की है विवेचना सही तरीके से नहीं की है। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध मुकदमा रंजिशन व सरकारी धन के लालच में चलने तथा अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने विरूद्ध साक्ष्य दिये जाने के सम्बन्ध में कथन किया कि वादी मुकदमा के घर के व मेली मददगार होने के नाते गवाही दी। सफाई साक्ष्य देने से इन्कार करते हुए आगे कथन किया कि मैं निर्दोष हूं। रंजिशन सरकारी धन के लालच में फर्जी तरीके से घटना में फंसाया गया है। प्रार्थी को बरी करके वादी मुकदमा के विरूद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

08– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को पूर्व में सविस्तार सुना जा चुका है। मैने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

09– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा जयप्रकाश** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मैं जाति का धोबी हूं। अभियुक्तगण कुंवर बहादुर सिंह अंकुल सिंह जाति के ठाकुर है जो मेरी ही गांव भगवानपुर के रहने वाले है और मेरी जाति बिरादरी के नहीं है। घटना 31–08–2013 की सुबह करीब 8.00 बजे की है। मैं पिपरमिंट की लीझी सुखने हेतु मजदूरी लेकर गया था वहीं पर अभियुक्तगण कुंवर बहादुर व अंकुल आये और मुझे धोबी साले हरिजन मादरचोद की गाली देकर बेइज्जत करने लगे। मुझे लाठी डण्डो से मारने लगे। मुल्जिमान के मारने से मुझे दाहिने आंख

गाल तथा हाथ व पीठ पर काफी चोटें आई थी। मुल्जिमान ने मेरा कपड़ा फाड़ दिया था। वहां किसी तरह मै जान बचाकर अपने घर आया तो मुल्जिमान लाठी डण्डा व तमंचा लेकर मेरे पर चढ़ आये घर पर भी मुझे तमाम मां बहन की मादरचोद भोंसड़ी वाले तथा जातिसूचक हरिजन साले की गालियां दिये तथा कहे कि इस धोबी साले को उठा ले चलो तथा जान से मार दो। बाद में जो होगा देख लिया जायेगा। बाद में मेरे शोर पर उदयराज, हरिद्वार प्रसाद महराजदीन आदि तमाम लोग आ गये जिन्होने घ ाटना देखा व बीच बचाव कराया तब मुल्लिमान जाते समय यह धमकी दिये कि तुम्हें दोबारा जान से मार दूंगा। मैने इस घटना की लिखित सूचना थाना मल्हीपुर को उसी दिन लिख कर दिया था। गवाह को कागज संख्या 3 ए/2 दिखाया गया जिस पर बने अपने हस्ताक्षर की उसने शिनाख्त की। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरी डाक्टरी परीक्षण दूसरे दिन पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल मल्हीपुर में कराई थी। मेरा एक्सरे भिनगा अस्पताल में हुआ था। मुल्मिान ने मुझे खडन्जा मार्ग से उत्तर टंकी के पास मारा पीटा था इस घटना के बारे में सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था तथा मौके का मुआयना किया था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना 31–10 की है फिर कहा कि 31 अगस्त 2013 की है। सुबह करीब 8 बजे का समय था घटना गांव के बाहर पश्चिम पिपरमिंट की टंकी पर घटी। मुझे पूरी तरह याद है कि घटना इसी स्थान पर घटी। मैं टंकी पर पिपमिंट की लीझी सुखवाने गया था। मजदूर मेरे साथ था लकिन घटना के समय वो शौंच को चला गया था। मैन यह बात की मेरे साथ जो मजदूरी गया था वो शौंच के लिए चला गया था एफ0आई0आर0 मे नहीं लिखाई थीं मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। मै मिथिलेश वर्मा की टंकी पर गया था मिथिलेश वर्मा टंकी पर नहीं थे। मै उस समय अकेला था। मेरी वहां कोई जमीन जायदाद नहीं है। उस टंकी पर मैने अपनी पिपरमिंट की पेराई नहीं की। मुझे जानकारी नही है कि अंकुल सिंह ने अपनी पिपरमिंट वहां पेरी थी या नहीं। मैने पिपरमिंट की खेती पहले कभी नहीं किया था। उसी वर्ष पिपरमिंट की खेती किया था। जो मेरे साथ मजदूर था उसका नाम हरिद्वार प्रसाद है। मेरी जमीन व अंकुल सिंह की जमीन अगल बगल थोड़ी दूर पर है। अंकुल सिंह व मैं एक ही गांव का हूं। एफ0आई0आर0 मैने 01–09–2013 को दर्ज कराया समय याद नहीं है। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था व मौका मुआयना किया था लेकिन यह नहीं जानता हूं कि मेरा 161 सीआर0पी0सी0 में लिया था या अन्य दफा में। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान अपने कार्यालय मे लिया था। मैने घटना के बारे में सी0ओ0 साहब को जो बयान दिया था वह पूर्णतया सत्य था और जो मैने

बयान दिया था वही लिखा गया था। मौके पर हरिद्वार, उदयराज व महाराजदीन पहुंचे। मौके से जहां टंकी थी वहा से मेरा घर करीब छः सौ मीटर दूर है। महराजदीन व उदयराज का घर भी टंकी जो घटनास्थल है उससे करीब छः सौ मीटर दूर है। घ ाटनास्थल के आसपास गवाहान महाराजदीन व उरयराज की कोई जमीन नही है। इन लोगो की पिपरमिंट की कोई पेराई उस टंकी पर कभी नहीं थी। घटनास्थल के पूरब तरफ घूर गडढा है पश्चिम भी घूर गडढा है। मौके के उत्तर राम सुमिरन का चक है। अगस्त 2013 मे मै वकालत नहीं कर रहा था मेरे पिता जूनियर हाई स्कूल में टीचर हैं। हम लोगों का सभी सम्मान करते हैं। मेरे व मेरे पिता के खिलाफ एस0डी0एम0 भिनगा न्यायालय पर कोर्ठ फौजदारी वाद नहीं चल रहा है। सी0ओ0 साहब को मैने बयान दिया था उसमें जिसने मुझे मारा था उसको बता दिया था। अंकुल सिंह व मैं एक ही उम्र के हैं और साथ खेले कूदे हैं साथ रहे भी हैं। मैने एक शपथ पत्र दाखिल किया था उसके सम्बन्ध में सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान नहीं लिया था। टंकी घटनास्थल पर जब अंकुल सिंह पहुंचे तो इनके हाथ में लाठी डण्डा था। मुझे यह नही पता कि किस हाथ में लाठी था किस हाथ मे डण्डा। मैं लीझी हाथ से भर रहा था लीझी तीन दिन पहले पेरी थी। लीझी मेरी नहीं थी लेकिन मै उसे भरने गया था। जब मैं टंकी पर पहुंचा तो अंकुल सिह टंकी पर मौजूद नहीं थे। अंकुल सिंह ने मुझसे कहा कि आप मेरी लीझी क्यो भर रहे हो, इसी बात पर विवाद हो गया। मै लीझी भरता रहा अंकुल सिंह मना करते रहे अंकुल सिंह मना करते रहे इसी बात पर विवाद हो गया। 07–10–2013 को सी0ओ0 साहब ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। पत्रावली मे मौजूद बयान जो अंकित है वो मेरा नहीं है। मुझे एफ0आई0आर0 कराने के बाद 15 हजार रूपये मिला था। यह कहना गलत है कि मैं अपने खेत में सिंचाई करने के लिए अंकुल सिंह के जमीन से होकर इंजन आदि ले जाता था अंकुल सिंह ने बाद में इंजन आदि अपने खेत से ले जाने के लिए मना कर दिया इसी बात से मैं अंकुल सिंह से रंजिश रखने लगा। यह कहना गलत है कि मैं अंकुल सिंह की लीझी जबरदस्ती भर रहा था अंकुल सिंह ने मना किया जब मै नहीं माना तो स्वयं विवाद किया। यह कहना गलत है कि अंकुल सिंह ने मुझे मारा पीटा नहीं और न ही गाली गुप्ता दिया।

10– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–2 महाराजदीन** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मैं चमार जाति का हूं। घटना दिनांक 31–08–2013 की है। सुबह करीब 8.00 बजे का समय था मै। संकल्पा गांव को जा रहा था गांव के बाहर निकला तो मिथिलेख की टंकी पर देखा कि मेरे गांव के जयप्रकाश धोबी को मेरे गांव के अंकुल सिंह व उनके पिता कुंवर बहादुर सिंह लाठी डण्डो से मार पीट रहे थे व गालियां दे

रहे थे कि धोबी साले को जान से मार देंगे। दोनो लोग जयप्रकाश को जातिसूचक गाली दे रहे थे टंकी सड़क व खेत के बीच में है सड़क पर से पूरी घटना साफ साफ दिखाई व सुनाई दे रही थी। मेरे गांव के मिथिलेश व छोटकउ, उदयराज आदि तमाम लोग वहां पहुंच गये थे गांव वालों के सामने ही वे लोग जय प्रकाश को जातिसूचक गालियां दे रहे थे हम लोगो ने बीच बचाव कराया। बाद में दोनो मुल्जिमानों ने व उनके घर के लोग जयप्रकाश के घर पर चढ़ कर आये थेा और गालियां जातिसूचक दिये थे जय प्रकाश को दाहिनी आंख के पास तथा दाहिनी हथेली पर चोटें आई थी जय प्रकाश की बुशर्ट फटी थी और पीठ पर भी चोट आई थी। सीओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था तथा सीओ0 साहब को मैने अपने बयान में बरवक्त घटना अंकुल सिंह व कुंवर बहादु सिंह द्वारा जय प्रकाश को मारने पीटने व उसे जातिसूचक गालियां देने की बात बताई थी। मैने अपने बयान के समर्थन में सीओ0 साहब को शपथ पत्र दिया था। शामिल पत्रावली कागज संख्या 8 बी/20 व 8 बी/21 के तथ्यों को गवाह को सुनाया गया तो उसने तस्दीक किया तथा अपने फोटो व हस्ताक्षर की तस्दीक किया इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। सी0ओ0 साहब ने जब मेरा दोबारा बयान लिया था तब भी मैने अंकुल सिंह व कुंवर बहादुर सिंह द्वारा जाय प्रकाश धोबी को मारने पीटने व जातिसूचक गालियां देने की बात बताई थी।

जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना 31–08–2013 की है मैं सुबह 6.00 बजे सो कर उठा था यह याद नही है कि हिन्दी का कौन सा महीना था उस साल मैने पिपरमिंट की खेती नहीं किया था मेरा और जय प्रकाश का घर दूर–दूर है। घअना वाले दिन मैं संकलपा गांव पैदल जा रहा था। मिथिलेश छोटकउ मेरे आगे पीछे चल रहे थे वह मेरे साथ नहीं थे। मिथिलेश टैक्टर पर नहीं थे वह अपने घर पर थे। मिथिलेश की टंकी पर जय प्रकाश, अंकुल और कुंवर बहादुर थे इनके अलावा और कोई नहीं था। जय प्रकाश मिथिलेश की टंकी पर लीधी निकाल रहे थे जिसको मै 50–60 कसी से देखा थ। मुझे यह याद नहीं है कि जय प्रकाश, मिथिलेश की टंकी पर अकेले लीधी भर रहे थे कि और किसी के साथ थे। वर्ष 1993 में मैने इन्द्रबहादुर सिंह, बुधई सिंह, कुंवर बहादुर सिंह और विजय बहादुर के विरूद्ध एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 427, 504, 506, भा0दं0सं0 व 3 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना मल्हीपुर में लिखाया था। कुवर बहादुर सिंह ने मेरा एक जानवर कांजी हाउस बन्द करवा दिया था इसी बात को लेकर मेरा उनसे विवाद हुआ था। किन सन में यह चारो अभियुक्त दोष्मुक्त हुए थे मुझे यह याद नहीं है। घटना के दिन मै मौके पर नहीं था बाद में वहां पहुंचा था। मेरे बाद मिथिलेश, छोटकउ, उदयराज आदि लोग आ गये थे। मुझे यह

पता है कि जो लीधी जयप्रकाश टंकी में भर रहे थे वह किसी थी। मिथिलेश की टंकी से मै अपने घर लौट आया और संकलपा गांव नहीं किया वहा पर मै एक लेखपाल से मुलाकात करने जा रहा था। मेरे घर लौटने आनेके आद घटनास्थल से सभी लोग अपने अपने घर लौट आये थे। यह कहना गलत है कि चूंकि मैं पहले से अभियुक्त के पिता कुंवर बहादुर के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था और इनसे रंजिश के कारण इस मुकदमे में झूठी गवाही दे रहा हूं। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन मै मौके पर नही था केवल मेल मिलाप के कारण झूठी गवाही दे रहा हूं।

11– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–3 उदयराज** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 31–08–2013 की सुबह 8.00 बजे की है। मै अपने खेत जा रहा था खेत से 50–60 मीटर की दूरी पहले ही मैने देखा कि जयप्रकाश व कुंवर बहादुर, अंकुल सिंह के बीच झगड़ा होने लगा था और अंकुल सिंह जय प्रकाश को लात मुक्का लाठी डण्डा से मार रहे थे। तब तक मेरे साथ महाराजदीन और गांव के 5–6 लोग भी आ गये बीच बराव कराया जय प्रकाश को हाथ की हथेली पीठ पर गाल पर चोटें आई थी। खून बह रहा था जब जयप्रकाश भाग कर घर आये तो कुंवर बहादुर व अंकुल सिंह का पूरा परिवार इनके घर पर चढ़ आये और जातिसूचक भददी भददी गाली देने लगे कि धोबी साले को जान से मार देंगे। तब तक गांव के तमाम लोग आ गये तब मुल्जिमान गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मुकदमा दर्ज होने के बाद सी0ओ0 साहब जांच करने आये थे और मेरा बयान लिया था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि मैं खेती करता हूं। मैं अनुसूचित जाति ाोबी बिरादरी का हूं। मेरी वादी मुकदमा से कोई रिश्तेदारी नहीं है। वादी मुकदमा मेरे खानदान के नहीं हैं। मेरे बाबा इस गांव में कहा से आये थे मैं नहीं जानता हूं। जयप्रकाश के बाबा का नाम नही जानता हूं। खानदान क्या होता है मै नहीं जानता हूं लेकिन गांव घर में सबके यहां खाया पिया जाता हूं। खेती के अलावा मै जनसेवा केन्द में बैठता हूं। कंप्यूटर आपरेटर का काम करता हूं। आज के अलावा पुलिस के सामने मेरा बयान लिया था। बयान पुलिस विभाग के लोग लिये थे। कौन लिये थे मै नहीं पहचानता। मैने पुलिस को बयान दिया था मुझे याद नही है क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। आज जो बयान दिया है वह याद है। गवाह को उसका 161 सीआर0पी0सी0 का पढकर सुनाया गया कि घटना केवल अंकुल पुत्र कुंवर बहादुर ––––एवं बीच बीचाव कराये थे। जो पर्चा संख्या 5 में अंकित है तथा बयान 161 सीआर0पी0सी0 पर्चा संख्या 2 कागज संख्या 7ए/3 बदर्याफत बताया कि घटना दिनांक 1–08–2013 को ––––परन्तु वह भी बीच बचाव करा रहे थे। यह बयान मैने

पुलिस को दिया था। बयान लेने वाला सी0ओ0 था या दरोगा मैं नहीं जानता हूं। यहा से कचेहरी की बाउण्डी वाली दीवाल करीब 250 मीटर होगी। घटना मैने 100 मीटर की दूरी से देखा था। वहां से मुझे टंकी दिख रही थी। पिपरमिंट की टंकी थी। टंकी का ढक्कन बंद था या खुला मै नहीं देख पाया। टंकी सुखराज की थी। जयप्रकाश अपनी लीझी सुखवाने गये थे। लीझी जय प्रकाश की थी मैं जानता हू। जब मैं 60 मीटर की दूरी से देखा तो झगड़ा हो रहा था जय प्रकाश, अंकुल व कुंवर बहादुर के बीच मारपीट हो रही थी। दिनांक 31–08–2013 को सुबह 8.30 बजे खेत जा रहा था। फिर कहा कि 8.00 बजे खेत जा रहा था। मेरा खेत गांव के पश्चिम तरफ है। घ ाटनास्थल गांव के पश्चिम है खलिहान है मेरे खेत के पास नहीं है। मैं अपने खेत जा रहा था घटनास्थल नहीं जा रहा था। उस समय मेरे खेत में ाान की फसल लगी थी। घटनास्थल पर जयप्रकाश की भी जमीन नहीं है। मैं अपने खेत नहीं पहुंच पाया था। मैं अपने खेत से महराजदीन के साथ निकला था। मैने 31–08–2013 को महराजदीन को खेत देखने के लिए कहा था। महराजदीन मेरे घर करीब 7.00 बजे आये थे। हम लोग तय करके खेत देखने के लिए चल दिये। मेरे घर से मेरा खेत करीब 700 मीटर दूर है। मैने जयप्रकाश अंकुल सिंह को जाते हुए नहीं देखा था। जयप्रकाश के साथ मैं थाने पर रिपोर्ट लिखाने नहीं गया था। जय प्रकाश ने एफ0आई0आर में क्या लिखाया मुझे नहीं पता है। एफ0आई0आर0 लिखाने के बाद जयप्रकाश ने मुझे नहीं बताया था कि उसने एफ0आई0आर में क्या लिखाया। जयप्रकाश ने मुझे गवाही देने के लिए कहा था। जब मैं घर से चला तो मेरे साथ महराजदीन थे और कोई मेरे साथ नहीं था। मुझे नहीं पता कि जयप्रकाश व अंकुल साथ साथ पढे हैं। मुझे इसकी जानकारी नही है कि अंकुल सिंह, जयप्रकाश के पिता जी के स्कूल में पढ़े हैं कि नहीं। मैने पुलिस वालों को जो बयान दिया था वह सही था लकिन उन्होने क्या लिखा मुझे नहीं पता है। मैने जो बयान जिरह में बाते बताई थी 07–09–25 को वह सही थी। यह कहना गलत है कि मैं घटनास्थल पर नहीं गया था घटना नहीं देखी थी। यह कहना गलत है कि जयप्रकाश ने मुझे फर्जी गवाह बना दिया था।

12– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–4 हरिद्वार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 31–08–2013 को मैं जयप्रकाश के यहां मजदूरी करने गया था पिपरमिंट की लीझी सुखवा रहा था सुबह करीब 8.00 बजे कुंवर बहादुर व अंकुर सिंह आये और जयप्रकाश को धोबी साले की गाली देने लगे जब जयप्रकाश ने मना किया तब अंकुल व कुंवर बहादुर ने लाठी डण्डा व लीझी फेंकने वाले लोहे के पंचागुर से मारने लगे। जिससे जय प्रकाश की दाहिनी आंख गाल व बाये हाथ पर चोटें आई थी।

पीठ पर भी चोटे आई थी आंखों के पास व हाथ से खून बह रहा था। तब तक तमाम लोग वहां पहुंच गये तब ये लोग धोबी साले की गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मुकदमा दर्ज होने के बाद सी0ओ0 साहब आये थे मेरा बयान लिया था।

जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया है कि मुझे द्वारिका प्रसाद व हरिद्वार दोनो नाम से पुकारते हैं। मेरा द्वारिका प्रसाद नाम से आधार भी गलत बन बया था। जिसे मैं बदलवा दिया था। द्वारिका प्रसाद नाम बदल गया था इसलिए अब हरिद्वार ही है। घ ाटना हुए करीब 13 साल हो गये हैं। मैं अब काठमांडू नेपाल में रहता हूं। पुलिस वालो ने घर पर सूचना तब मैं आज सुबह आया हूं। मेरा व जयप्रकाश का घर आगे पीछे है। जय प्रकाश दो भाई हैं। जयप्रकाश के पिता भी दो भाई है। उदयराज व जयप्रकाश चचेरे भाई हैं। इन लोगो के पिता सगे भाई नहीं थे। सी0ओ0 साहब ने मेरा बयान लिया था जो घटना देखी थी वही बयान दिया था। मैने सी0ओ0 साहब से यह नहीं बताया था कि मैने घटना नहीं देखा था। मेरा नाम हरिहर प्रसाद नहीं हैं पुलिस वालों ने हरिहर प्रसाद पुत्र मिश्रीलाल जो नाम लिखा है वह गलत लिखा है। साक्षी को उसका 161 सीआर0पी0सी0 का बयान पढकर सुनाया गया कि घटना दिनांक 31–08–2013 ––––––दूर से ही देखा कि अंकुल और जय प्रकाश के बीच मारपीट हो रही थी जब तक पहुंचा तब तक दोनो लोग अलग हो गये थे, तो साक्षी ने बताया कि मैं अपने घर चला गया था मौके पर नहीं गया था। मैं पिपरमिंट टंकी पर मौके पर नहीं था न ही वहां कुछ देखा था। यह कहना गलत है कि मेरा व जयप्रकाश लेकर आये है। यह कहना गलत है कि मेरा व जयप्रकाश का घर इकटठा है इसलिए मै झूठी गवाही दे रहा हूं।

13– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–5 मंगली प्रसाद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 31–08–2013 सुबह 8.00 बजे की है। मै। जय प्रकाश के साथ मजदूर लेकर मिथिलेख की टंकी पर पिपरमिंट की लीझी सुखवाने गया था। वहीं पर कुवर बहादुर व अंकुल सिंह जयप्रकाशको धोबीसाले की गाली देते हुए लाठी डण्डे व लात मुक्का थप्पड़ से मारने लगे। जय प्रकाश को काफी चोटें आई थी। बायी आंख से खुन निकल रहा था और जय प्रकाश अपनी जान बचाकर अपने घ ार भाग गये तो पीछे से कुंवर बहादुर व अंकुल सिंह उनके घर पर चढ़ आये और धोबी साले की गाली व जान से मारने की धमकी देने लगे। तब गांव के तमाम लोग पहुंच गये तब मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। इस घटना के सम्बन्ध मे मैने सी0ओ0 साहब को बयान दिया था और शपथ पत्र भी दिया था। साक्षी

को पत्रावली संलग्न कागज संख्या 8 बी/22 शपथ पत्र दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि इस पर लगी फोटो व निशानी अंगूठा मेरे है जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। यह शपथ पत्र मैने सी0ओ0 साहब को दिया था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि पत्रावली में संलग्न कागज संख्या बी 8/22 पर लगी फोटो मेरी है। मिथिलेश की टंकी पर मैं जयप्रकाश के साथ नहीं गया था। इसलिए वहां पर जयप्रकाश व अंकुल सिंह के बीच में कही कोई घटना नहीं देखी है। मै पढ़ा लिखा नहीं हूं। शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है। इसको टाइप कराने मै नहीं गया था। शपथ पत्र बनवाने भी मै नहीं गया था। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे नहीं पता है। यह भी कहना सही है कि शपथ पत्र बनावने मे मै नहीं गया था। यह भी कहना सही है कि पिपरमिंट की लीझी सुखाने नही गया था और न ही मारपीट देखी थी।

14– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–6 मिथिलेश कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना हुए लगभग 13 वर्ष हो रहे है। 31–08–2013 समय 8.00 बजे सुबह की घटना है। गांव के बाहर मेरी पिपरमिंट की टंकी लगी थी वहीं पर जय प्रकाश लीझी फेला रहे थे तब तक मेरे गांव के अंकुल सिंह व उनके पिता कुंवर बहादुर आ गये जय प्रकाश को धोबी साले की गाली देते हुए कहे कि बड़े नेता बनते हो। जयप्रकाश ने गाली देने से मना किया किा अंकुल सिंह व कुंवर बहादुर ने जय प्रकाश को लाठी डण्डे से मारने लगे जिससे जयप्रकाश को चोटे आ गयी थी जिससे उनके बायी आंख के पास कट गया था। जिससे खून बह रहा था व हाथ भी कट गया था। बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद सी0ओ0 साहब आये थे मेरा बयान लिया था।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि पिपरमिंट की टंकी खलिहान में लगी है। सरकारी जमीन में टंकी लगी है। मेरी जमीन नहीं है। टंकी अब नही लगी है। मेरी टंकी 6–7 साल पहले तक लगी थी। मुझे किसी लेखपाल आदि ने खलिहान में टंकी लगाने से नहीं रोका था। मेरे घर से टंकी 500 मीटर की दूरी पर है। खलिहान में ही मैने बोरिंग कराई है। उसी से टंकी में पानी की व्यवस्था करता था। अंकुल सिंह टंकी में पिपरमिंट घटना से एक दिन पहले नहीं बल्कि 4–5 दिन पहले पेटवाये थे। जयप्रकाश के पिता का नाम जगदम्बा प्रसाद है। जयप्रकाश ने भी अपनी पिपरमिंट में अपनी पिपरमिंट मेरी टंकी मे पेराये थे। घटना से एक हफता पहले जयप्रकाश ने पिपरमिंट पेरवाया था। लीझी को सुखाकर उसे फिर टंकी में जलाया जाता है। अंकुल वाली लीझी टंकी में ही थी। टंकी पर मैं 24 घन्टे रहता था। मेरे घरवाले भी टंकी पर

मौजूद रहते थे। टंकी पर लीझी सुखाते समय केवली जयप्रकाश थे मैं नहीं था। जयप्रकाश को मैने अंकुल वाली लीझी नहीं दिया था। सी0ओ0 साहब को मैने बयान दिया था। उस समय सी0ओ0 साहब को नहीं बताया था कि मैं मौके पर नहीं था। आज मैं जयप्रकाश के साथ गवाही देने आया हूं। यह कहना सही है कि घटना के समय मैं मौके पर नहीं था। यह कहना गलत है कि जयप्रकाश से मिल जाने के कारण मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

15– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–7 डा0 शेषवान गौतम** ने जरिये वीडियो कांफ्रेसिंग उपस्थित आकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करते हुए दिनांक 01–09–2013 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्हीपुर में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात होने तथा चोटहिल जय प्रकाश की चोटो का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने का बयान दिया है। चोटहिल की चोटों का विवरण–

1– दायी आंख के चारो तरफ 3 सेमी घेरे मे नीलापन।

2– 01 सेमी X 0.2 सेमी का कटा हुआ घाव दाये हाथ की हथेली पर जिसकी गहराई मांस तक है।

3– 08 सेमी X 2 सेमी का सूजन हाथ के दाये कंधे पर।

4– 06 सेमी X 2.5 सेमी का सूजन बायी कमर पर सामने की तरफ।

5– चोटहिल द्वारा सीने में बाये तरफ दर्द बातया गया।

सभी चोटों की प्रकृति सामान्य थी। सिवाय चोट संख्या 5 जिसको आर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफर किया गया। चोटो की अवधि 24 घण्टे के अन्दर की थी। उपरोक्त चोटे ठोस व किसी कुंदालय हथियार से पहुचाया जाना प्रतीत होता है। साक्षी मेडिकल रिपोर्ट कागज सख्या ए 6/2 को अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर मे होने की पुष्टि करते हुए उसे प्रदर्श –2 के रूप मे साबित किया है।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि चोटहिल के सीने पर बायी तरफ जहां दर्द बताया गया वहां पर कोई चोट का निशान नहीं था। चोटहिल ने सीने पर अपना हाथ रखकर जबानी बताया था कि दर्द हो रहा है। मेरी दृष्टि में चोट नहीं थी केवल एहतियातन चोटहिल को जांच के लिए भेज दिया था। अगर आर्थोपेडिक सर्जन रिर्पोट नहीं लगी है या जांच नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि केवल जबानी बताया गया कोई चोट नहीं थी। मैने चोटहिल की डाक्टरी दिनांक 01–09–2013 को 2.30 पी0एम0 पर की है। मेरे हिसाब से सारी चोटे चौबीस घन्टे अन्दर की थी उसके बाहर की नहीं थी। सारी चोटे दिनांक 31–08–2013 को 2.30 पी0एम0 के बाद लगी है। यह

कहना सही है कि चोटहिल को सारी चोटें 31–08–2013 को 2.30 पी0एम0 के बाद लगी है। 31–08–2013 को सुबह आठ बजे नहीं लगी है। यह कहना सही है कि चोटहिल को सारी चोटे वह स्वयं भी लगा सकता था।

16– अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–8 सेवा निवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सिंह** ने मामले की विवेचना की है। इस साक्षी ने जरिये वीडियो कांफ्रसिंग अपनी मुख्य परीक्ष में सशपथ बयान करते हुए दिनांक 01–09–2013 को क्षेत्राधिकारी भिनगा के पद पर कार्यरत होने तथा इस मामले की विवेचना प्राप्त होने, विवेचना के दौरान गवाहान का बयान अंकित किये जाने, वादी मुकदमा की निशान देही पर घटना स्थल का निरीक्षण किये जाने तथा उनका मानचित्र बनाये जाने, तथा अन्य विवेचनात्मक कार्यवही करते हुए पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने का कथन करते हुए नक्शा नजरी को प्रदर्श क–3 तथा आरोप पत्र को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है।

जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि जयप्रकाश के मेरी मुलाकात उनके बयान और नक्श नजरी उसके अलावा और कई बार हुई। कुंवर बहादुर सिंह की जयप्रकाश के द्वारा प्रथम सूचना में नामजदगी गलत पायी गयी इसलिए उनका नाम मुकदमा से निकाला गया। वादी मुकदमा जयप्रकाश ने कुवर बहादुर सिंह के उपर फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसलिए उनका नाम मुकदमे से निकाला गया। डाक्टरी जांच में डाक्टर की राय सारी चोटे 24 घन्टे के अन्दर की बताई गयी है और मजरूब की डाक्टरी 01–09–2013 को 2.30 पी0एम0 व घटना दिनांक 31–08–2013 को समय 8.00 बजे सुबह की है। घटनास्थल का नजरी नक्शा केवल एक जगह तेल की टंकी का बनाया गया है दूसरा कोई नजरी नक्शा नही बनाया गया है। वादी मुकदमा जयप्रकाश ने एक ही घटनास्थल दिखाया था अन्य किसी घटनास्थल की बात नहीं बतायी थी। सारे गवाहो का बयान लेने मैं गांव में गया था। यह आरोप पत्र मैने स्वयं नहीं तैयार किया था बल्कि हे0कां0 हेमन्त चतुर्वेदी से तैयार कराया था जिसपर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह कहना गलत है कि मैने इस मुकदमे में सही विवेचना नही किया है केवल खानापूर्ति करके आराप पत्र न्यायालय पर भेज दिया है। यह कहना सही है कि जयप्रकाश ने कुंवर बहादुर के उपर फर्जी मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह कहना गलत है किमैने विवेचना सही ढंग से किया होता तो आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित न करना पड़ता।

17– बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रकरण में गांव की राजनीतिक रंजिश वश अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। वादी व अन्य अभियोजन साक्षीगण के बयानों में गंभीर

विरोधाभाष है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने की याचना की।

18– अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया कि वादी जो स्वयं पीडिता है के बयानों से अभियोजन कथानक की पुष्टि हुई है। अन्य अभियोजन साक्षीगण ने भी घटना का समर्थन किया है। पीड़ित की मजरुबी रिपोर्ट जिसे चिकित्सक द्वारा साबित किया गया है उक्त से भी अभियोजन कथानक को बल मिलता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने की याचना की।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

<u>निष्कर्ष</u>

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त अंकुल सिंह उर्फ यशवन्त सिंह का धारा 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता व 3 (1) (X) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत विचारण किया जा रहा है।

19– अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप के दृष्टिगत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि **क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति के पीडित को मारपीट कर साधारण उपहति करित की तथा लोक दृष्टि में पीडित को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया व जान से मारने की धमकी दी गई ?**

20– वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक 31–08–2013 को समय सुबह 8 बजे की है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01–09–2013 को समय 12.30 बजे दर्ज की गई। घटना स्थल से थाने की दूरी लगभग 1 किमी0 है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 28.30 घंटे बाद दर्ज कराई गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 01–09–2013 के प्रकाश में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विलंब के संबंध में वादी/पीड़ित ने बतौर पी 0 डब्लू 0 1 मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना की लिखित सूचना उसी दिन थाना मल्हिपुर पर दे दिया था। प्रति परीक्षा में अगले दिन एफ 0 आई 0 आर 0 दर्ज होना स्वीकार किया है। पत्रावली पर संलग्न लिखित तहरीर प्रदर्श क 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक के स्थान पर 31–08–2013 को ओवरराइटिंग कर 01–09–2013 बनाया गया है। बचाव पक्ष द्वारा यदपि प्रति परीक्षा में इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया गया है तथापि उक्त विसंगति के अवलोकन को वादी के बयान के परिप्रेक्ष्य में देखने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट वस्तुतः विलंबित नही कही जा सकती है।

21– प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार घटना स्थल पीपरमिंट की टंकी के

पास तथा पुनः वादी के घर पर बताई गई है। वादी ने बतौर पी0 डब्लू0–1 कथन किया है कि घटना गांव के बाहर पिपरमिंट की टंकी पर घटी। मैं मिथिलेश वर्मा की टंकी पर गया था। मौके से जहां टंकी थी वहा से मेरा घर करीब छः सौ मीटर दूर है। महराजदीन व उदयराज का घर भी टंकी जो घटनास्थल है उससे करीब छः सौ मीटर दूर है। घटनास्थल के पूरब तरफ घूर गडढा है पश्चिम भी घूर गडढा है। मौके के उत्तर राम सुमिरन का चक है। घटना स्थल का उक्त विवरण पत्रावली पर संलग्न नक्शा नजरी प्रदर्श क 3 के पूर्णतया अनुरूप नही है। साथ ही नक्शा नजरी में कथित दूसरा घटना स्थल अर्थात वादी के घर को भी नही दर्शाया गया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि उक्त विषमता के दृष्टिगत घटना स्थल साबित नही कहा जा सकता है। इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक विधि व्यवस्था के अनुसार

Only those things in site plan are admissible in evidence which are based on personal knowledge of I.O. as to what he saw and observed. See : **State of UP Vs. Lakhan Singh, 2014 (86) ACC 82 (All)(DB).**

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि नक्शा नजरी का मात्र वह अंश ग्राह्य है जो विवेचक के व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित है।

वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–1 वादी व चुटैल जय प्रकाश ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा प्रति परीक्षा में कोई गंभीर विरोधाभाषी बयान नही दिया है। अतः यह विश्वसनीय साक्षी है।

साक्षी पी0 डब्लू0–2 महराजदीन ने मुख्य परीक्षा में घटना का पूर्ण समर्थन किया है तथा प्रति परीक्षा में कथन किया है कि घटना के दिन मैं मौके पर नही था बाद में वहां पंहुचा था। अतः यह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है तथा मात्र अनुश्रुत साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

साक्षी पी0 डब्लू0–3 उदयराज ने मुख्य परीक्षा में घटना को पुष्ट किया है तथा प्रति परीक्षा में बयान दिया है कि घटना मैंने 60 मीटर की दूरी से देखा था। आगे कहा कि 60 मीटर की दूरी से झगड़ा व मारपीट होते देखा था। अतः इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में जातिगत अपमानजनक शब्द या गालियां 60 मीटर की दूरी से सुनने का कथन नही किया है।

साक्षी पी0 डब्लू0–4 हरिद्वार ने भी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का सामान्य रूप से समर्थन किया है। प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैं अपने घर चला गया था। पिपरमिंट की टंकी पर मौके पर नही था। न ही वहां कुछ देखा था। अत : यह विश्वसनीय साक्षी नही है।

साक्षी पी0 डब्लू0–5 मंगली प्रसाद ने भी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है परंतु प्रति परीक्षा में जय प्रकाश व अंकुल सिंह के बीच में कोई घटना नही देखे जाने का कथन किया है। अतः यह साक्षी भी विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नही आता है।

साक्षी पी0 डब्लू0–6 मिथिलेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है और प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न के उत्तर में घटना के समय मौके पर नही होना स्वीकार किया है। अतः यह साक्षी भी विश्वसनीय नही है।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी पी0 डब्लू0–7 डा0 शेषवान गौतम ने पीड़ित की घटना के अगले दिन की मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क 2 के रूप में साबित किया है। चोटों को एक दिन के अंदर की अवधि का एवं साधारण प्रकृति का होना बताया है। इस साक्षी ने पीड़ित की सारी चोटें दिनांक 31–08–2013 को समय 2–30 बजे के बाद की होना बताया है तथा सुबह 8 बजे की होने से इंकार किया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि चिकित्सक विशेषज्ञ द्वारा चोटों की अवधि के संबंध मे व्यक्त अभिमत के दृष्टिगत अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में मेडिकल विशेषज्ञ तथा चकछुदर्शी साक्षी के साक्ष्य में विभन्नता के संबंध में निम्न विधि व्यवस्था उल्लेखनीय है

As per Sec. 45, Evidence Act a doctor is a medical expert. It is well settled that medical evidence is only an evidence of opinion and it is not conclusive and when oral evidence is found to be inconsistent with medical opinion, the question of relying upon one or the other would depend upon the facts and circumstances of each case.

See : **Mahmood Vs. State of U.P., AIR 2008 515**

इस संबंध में एक अन्य विधि व्यवस्था के अनुसार

If the opinion given by one Doctor is bereft of logic or objectivity or is not consistent with probability, the court has no liability to go by that opinion merely because it is said by a doctor. The opinion given by a medical witness need not be the last word on the subject and such an opinion shall be tested by the Court.

See :State of Haryana Vs. Bhagirath, AIR 1999 SC 2005

डाक्टर की राय तथा प्रत्यक्ष साक्षी के बयान में परिलक्षित विरोधाभाष के संदर्भ में निम्न विधि व्यवस्था का उल्लेख समीचीन है।

Where medical evidence shows two possibilities, the one consistent with the reliable direct evidence should be accepted. **See : Anil Rai Vs. State of Bihar, (2001) 7 SCC 318.**

चिकित्सक की राय एवं प्रत्यक्ष साक्षी के बयान के तुलनात्मक वरीयता के संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के मतानुसार

Ocular evidence would have primacy unless established to be totally irreconcilable with the medical evidence. Testimony of ocular witness has greater evidentiary value. **See. Rakesh Vs. State of UP, 2012 (76) ACC 264 (SC)**

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों व साक्ष्य के विश्लेषणोपरांत यह स्पष्ट हो जाता है डाक्टर की राय में चोटों की अवधि में परिलक्षित लगभग छः घंटे का अंतर के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक को अविश्वसनीय नही माना जा सकता है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की अवधि के संबंध में व्यक्त उक्त राय का कोई आधार जैसे चोट के रंग आदि का कोई विवरण नही दिया गया है। अतः अवधि के संबंध में उक्त मेडिकल राय निश्चयात्मक नही माना जा सकता है। पीड़ित तथा प्रत्यक्ष साक्षी पी0 डब्लू0–3 उदयराज ने मारपीट की घटना की पुष्टि की है। यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़ित द्वारा दायी आंख हाथ आदि में बताई गई चोट की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से भी होती है। पीड़ित की चोट सं0 5 सीने में दर्द की शिकायत है जो साधारण उपहति की श्रेणी मे आती है।

जहां तक जान से मारने की धमकी देने के आरोप का प्रश्न है वादी मुकदमा ने मुख्य परीक्षा में इसकी पुष्टि की है जबकि प्रति परीक्षा में बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई प्रश्न नही पूछा गया है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था के अनुसार

It is a settled legal proposition that in case the question is not put to the witness in cross-examination who could furnish explanation on a particular issue, the correctness or legality of the said fact/issue could not be raised. See :

Mahavir Singh Vs. State of Haryana, (2014) 6 SCC 716 (para 16)

अतः उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि तथ्य विशेष के संबंध में प्रति परीक्षा में प्रश्न नही किए जाने से उक्त तथ्य स्वीकार्य या साबित माना जाएगा।

अतः अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्त अंकुल सिंह उर्फ यशवन्त सिंह द्वारा वादी मुकदमा जयप्रकाश को घटना समय दिनांक व स्थान पर मारपीट कर साधारण उपहति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप को पुष्ट किया है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से अभियुक्त द्वारा पीडित के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप संदेह से परे साबित होता है।

29– जहां तक एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट के अंतर्गत विशेष अपराध कारित करने का प्रश्न है इस संबंध में निम्न विधि व्यवस्था का उल्लेख समीचीन है जिसके अनुसार

Ingredients of offence under this section are (1) Presence of person being abused, and (2) abuse being in public view,

Asmathunnisa v. State of A.P., (2011) 11 SCC 259 : (2011) 3 SCC (Cri) 159.

22– वर्तमान प्रकरण में साक्षी पी0 डब्लू0–1 पीडित वादी मुकदमा जयप्रकाश के अतिरिक्त अन्य किसी लोक साक्षी ने प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा जातिसूचक गालियां देकर अपमानित करने के आरोप की पुष्टि नही की है। अतः लोक दृष्टि में अपमानित करने के तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा कोई विश्वसनीय या प्रत्यक्ष लोक या स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नही किया गया है। अतः स्पष्ट है कि कथित जातिगत गालियां देकर अपमानित करने का कोई प्रत्यक्ष लोक साक्षी नही है। इनके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी ने उसके सामने जातिगत गालियां देकर अपमानित करने का साक्ष्य नही दिया है। अतः लोकदृष्टि में अपमानित करने का आरोप संदेह से परे साबित नही होता है।

23– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के विश्लेषण उपरांत यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्त अंकुल सिंह के विरुद्ध संदेह से परे यह साबित करने मे सफल रहा कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा वादी/चोटहिल के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित की गई व जान से मारने की धमकी दी गई।

अभियोजन अभियुक्त अंकुल सिंह द्वारा वादी को लोकदृष्टि मे जातिसूचक गालियां देकर अपमानित करने के आरोप को संदेह से परे साबित करने मे विफल रहा।

24– अतः अभियुक्त अंकुल सिंह अपराध अ0 धारा 323, 506 भा0दं0सं0 के आरोपों में दोष सिद्ध किए जाने योग्य है तथा धारा 3 (1) (X) अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

25– अभियुक्त अंकुल सिंह उर्फ यशवन्त सिंह अपराध अ0 धारा 323, 506 भा0दं0सं0 के आरोपों में दोष सिद्ध किया जाता है तथा धारा 3 (1) (X) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त अंकुल सिंह जमानत पर है। अतः उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उनके जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश पश्चात पेश हो।

दिनांक 10–03–2026

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
श्रावस्ती।

लंच बाद –

26– पत्रावली भोजनावकाश पश्चात पेश हुई। अभियुक्त अंकुल सिंह उर्फ यशवन्त सिंह न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

दण्ड के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान ए0डी0जी0सी0 तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने एक गम्भीर अपराध किया है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा दी जाये।

27– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा लम्बी अवधि तक इस मामले में विचारण का सामना किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह गरीब है। अतः अभियुक्त को प्रोवेशन पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्को के प्रकाश में मैने पुनः पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

28– उभयपक्ष के उपरोक्त तर्को के प्रकाश में पत्रावली का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को धारा 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोष सिद्ध किया गया है जो अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की सजा से दंडनीय है। वर्ष 2013 की घटना से सम्बन्धित यह आपराधिक वाद लम्बित है। मामले में अभियुक्त

की तरफ से कोई विलम्ब नही किया गया है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इतने लम्बे अन्तराल में अभियुक्त को मानसिक एवं शारीरिक यातना हुई होगी। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियोजन पक्ष की तरफ से पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही दाखिल किया गया है, अथवा दौरान बहस ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में नही लाया गया है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त की पूर्व में किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध हुई हो। अभियोजन पक्ष यह भी साबित नही कर सका है कि अभियुक्त का शील या पूर्ववर्ती आचरण अच्छा नही रहा। इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं न्यायिक उदारता का परिचय देते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

29– अभियुक्त अंकुल सिंह उर्फ यशवन्त सिंह को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाता है तथा अभियुक्त को तत्काल दण्डित न कर उन्हे आदेशित किया जाता है कि वे इस आशय का बीस हजार रूपये का स्वबन्धपत्र दाखिल करें कि वे जिला प्रोवेशन अधिकारी के समक्ष बीस हजार रूपये का स्वबन्धपत्र तथा समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू दाखिल करेंगे तथा प्रत्येक माह की 05 तारीख को अथवा अगले कार्य दिवस को वह जिला प्रोवेशन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा। अभियुक्त जिला प्रोवेशन अधिकारी के समक्ष इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे कि वे परिवीक्षा अवधि के दौरान शान्ति एवं सद्भावना बनाये रखेंगे तथा वे कोई अपराध नहीं कारित करेंगे अन्यथा उन्हें तलब करते हुए कारावास के दण्ड से दण्डित किया जायेगा। **परिवीक्षा की यह अवधि छः माह की होगी।**

दिनांक 10–03–2026

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।
श्रावस्ती।

आज यह निर्णयादेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक 10–03–2026

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।

श्रावस्ती।